

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प0 17/19/ 469

दिनांक:- 31/7/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- डी.बी. सिविल रिट पि0 न0 2808/2012 सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार एवं
डी.बी. सिविल रिट पि0 न0 6672/2016 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डी.बी. सिविल रिट पि0 न0 2808/2012 सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार एवं डी.बी. सिविल रिट पि0 न0 6672/2016 के सम्बन्ध में आपको निदेशालय स्तर से आदेश क्रमांक 230 दिनांक 11.05.16, 162 दिनांक 01.05.17, 146 दिनांक 09.04.18, 156 दिनांक 12.04.18, 224 दिनांक 11.05.18, 89 दिनांक 06.02.19 एवं 94 दिनांक 18.06.19 के द्वारा केन्द्रीय कारागार/जिला कारागारों में बंदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए केन्द्रीय कारागार/जिला कारागारों में बंदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-संस्था/चि0अ0/एटी/प0 17/19/ 469

दिनांक:- 31/7/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-सम्बन्धित।
- 7 प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे एवं सम्बन्धित को ई-मेल करावें।
- 8 निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।